फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकामः– नसीराबाद

शंकर बनाम राज0 सरकार वगै0

किस्म मुकदमा :– 128 भू रा0 अधि0 1956

प्रकरण संख्या 42 सन् :– 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.6.17	अधिवक्ता प्रार्थी ने कैम्प कोर्ट राजगढ़ में उक्त प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत किया प्रा. पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजौसी के खसरा नम्बर 4508रकबा 1.02 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। किन्तु उक्त आराजी के आसपडौस के व्यक्तियों से विवाद हो गया है। अतः आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी करवायी जावे। पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों की सहखातेदारी में दर्ज है जिसका विभाजन नही हुआ है। उक्त आराजी पर प्रार्थी के अतिरिक्त सभी सहखातेदारों का बराबर हक व अधिकार निहित है। प्रार्थी द्वारा अन्य सहखातेदारों को प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया है। उक्त आराजी पर सीमा सम्बन्धित विवाद है जिसकी पत्थरगढी करने से वाद बहुलता कम होगी। किन्तु पत्थरगढी किये जाने से पूर्व अन्य सह खातेदारों को सुनवाई का अवसर देना न्यायोचित है। अतः ग्राम राजौसी के खसरा नम्बर 4508 रकबा 1.02 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **''स्वीकार''** किया जाता है। उक्त आराजी पर तहसीलदार नसीराबाद प्रार्थी, अन्य सहखातेदारों व पडौसी खातेदारों की विधिवत उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट राजगढ़	